नियम-61 के अन्तर्गत माननीय विधायक श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)द्वारा उठाया गया प्रस्तावः—

“दिनांक 14 सितम्बर 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3073 के उत्तर से उत्पन्न निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे।”

i उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है।

ii प्रोत्साहन हेतु कोई भी बात नहीं की गई है।

iii प्रोत्साहन हेतु सदन चर्चा करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

इस मामले की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है :—

1. जी नहीं, तारांकित प्रश्न संख्या 3073 का उत्तर तथ्यों पर ही आधारित है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जड़ी–बूटी उत्पादन का बृहत क्षेत्र बनाने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत औषधीय पौधों के घटक हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसके अन्तर्गत औषधीय पौधों की नर्सरी, किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि पर औषधीय पौधों की कृषि करने, औषधीय पौधों को सुखाने एंव भण्डारण के लिए शैड व बीज/ जर्मप्लाज़्म (आनुवांशिक सम्पदा) केन्द्र स्थापित करना मुख्य गतिविधियाँ हैं जिसका वर्षबार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत 170.074 लाख रूपये की कार्य योजना स्वीकृत की गई जिसके अर्न्तगत औषधीय पौधों का कृषिकरण (100.074 लाख रूपये), सुखाने एंव भण्डारण शैड (40.00 लाख रूपये), बीज/ जर्मप्लाज़्म (आनुवांशिक सम्पदा) केन्द्र (25.00 लाख रूपये) व जैविक प्रमाणीकरण (5.00 लाख रूपये) का प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन 2017—18 में औषधीय पौधों के घटक हेतु भारत सरकार द्वारा 75.5433 लाख स्वीकृत किए गए जिसमें दो लघु नर्सरियाँ (12.50 लाख रूपये), औषधीय पौधों की खेती (8.0433 लाख रूपये), बीज/ जर्मप्लाज़्म (आनुवांशिक सम्पदा) केन्द्र (25.00 लाख रूपये), सुखाने एंव भण्डारण शैड (30.00 लाख रूपये) का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन 2018—19 में 63.75 लाख रूपये मूल्य की कार्य योजना स्वीकृत हुई जिसमें दो नर्सरियाँ सरकारी क्षेत्र में (31.25 लाख रूपये) व एक नर्सरी निजी क्षेत्र में (12.50 लाख रूपये) तथा सुखाने एंव भण्डारण शैड (20.00 लाख रूपये) की गतिविधियाँ रखी गई है।

वर्ष 2019—20 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 128.944 लाख रूपये स्वीकृत किए गए। इस के अर्न्तगत सरकारी क्षेत्र में नर्सरियाँ (37.50 लाख रूपये) औषधीय पौधों के कृषिकरण (54.4443 लाख रूपये), सुखाने एंव भण्डारण शैड (20. 00 लाख रूपये), सर्वेक्षण व विपणन (17.00 लाख रूपये) इत्यादि गतिविधियाँ स्वीकृत की गई हैं।

वर्ष 2020—21 के लिए 147.50 लाख मूल्य की कार्य योजना भारत सरकार को भेजी गई है जिसमें 87.50 लाख रूपये सरकारी व निजी क्षेत्र में नर्सरियाँ स्थापित करना एवं सुखाने व भण्डारण शैड का निर्माण करना (60.00 लाख रूपये) प्रस्तावित है। विभाग द्वारा 228 किसानों को प्रोत्साहन दिया गया है जिसका ब्यौरा निम्न है:—

वर्ष	**किसानो की संख्या**	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर)**	**वित्तीय सहायता(रूपए)**
2018-19	105	39.62	36,54,195.00
2019-20	102	36.22	27,74,534.00
2020-21 (31.07.2020तक)	21	4.00	4,88,635.00
कुल योग	**228 ***	**79.84**	**69,17,364.00**

(ii)जी नहीं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना" (Central Sector Scheme on Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants) के अन्तर्गत संस्थागत/सार्वजनिक क्षेत्र में हर्बल गार्डन स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिसका ब्यौरा निम्न रूप से है:-

- हर्बल गार्डन स्थापित करने हेतु तीन लाख रूपए प्रति हैक्टेयर का प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें मुख्य घटक भूमि विकास, बाड़ लगाना, सिंचाई के साधन,पोध रोपण सामग्री,रोपण, साईनबोर्ड,घूमने के लिए पथ इत्यादि गतिविधियों के लिए अनुदान दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त हर्बल गार्डन के रख रखाव हेतु 60000/– रूपए प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष के अनुसार अगले चार वर्षो तक अनुदान राशि दी जाती है जो कि 2.40 लाख रूपए बनती है। अतः एक हैक्टेयर में हर्बल गार्डन स्थापित करने हेतु 5.40 लाख रूपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।
- स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने हेतु 25000 रूपए का अनुदान 500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में प्रति स्कूल के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें 10-15 औषधीय पौधों की प्रजातियां लगा सकते है।
- इनके रख रखाव हेतु 7000 रूपए प्रति वर्ष स्कूल के हिसाब से 4 वर्षो तक रख रखाव राशि दी जाती है जो कि 28000/–रूपए बनती है। अतः 500वर्ग0मी0 के क्षेत्रफल में स्कूल हर्बल गार्डन स्थापित करने हेतु कुल 53000/– रूपए का प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर क्षेत्रफल अधिक या कम हो तो वित्तीय सहायता यथानुपात बढ़ाई या कम की जा सकती है।